

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 27/2018

(Rcms no. 2018/00093)

उनवानी प्रकरण :-

1. बीरनारायण पुत्र पानसिंह जाति ठाकुर निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर ----- अपीलान्त।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ----- रेस्पोजेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.2.2018

तहसीलदार बसेडी प्र. सं. 398/2018

उनवानी राज0 सरकार बनाम बीरनारायण

अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्त की ओर से :- श्री अनिल परमार अभिभाषक।
2. रेस्पोजेण्ट की ओर से :- पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :-29.5.2018

निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.02.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बौरेली ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बौरेली की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 164/150 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम फसल रवि सम्वत् 2074 में सरसों बोकर अपीलान्त ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को बिना सुने 57/-रूपये का जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्त को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्त को सुना गया अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्त ने किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं किये हैं। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्त पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्त पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्त अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखता यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर बयान दिया एवं अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं बताया कि अपीलान्त का कितने वर्ष पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलान्त द्वारा कब्जा किया गया था जबकि अपीलान्त भूमि हीन कृषक है जिसका विवादग्रस्त आराजी पर 40 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है अगर अपीलान्त की सुनवाई होती तो वह अपना

पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के सामने रखते एवं नियमन की सिफारिश की प्रार्थना करते। अपीलान्त ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानते हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 17.04.2018 को पुलिस के जरिये हुई। विवादित आराजी पर अपीलान्त का लगभग 40 वर्ष पूर्व का कब्जा है अपीलान्त यह समझता रहा कि यह आराजी उसके नाम नियमन हो जायेगी इसलिये अपीलान्त उक्त आराजी पर काबिज होकर काशत करता रहा एवं अपने परिवारजनों से काशत कराता रहा यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जबाव का मौका दिया जाता तो वो जबावदेई करता एवं उसी समय विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड देता अब जैसे ही अपीलान्त को सजा की जानकारी हुई अपीलान्त ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में अपना कब्जा नहीं करेगा इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्त ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 12.2.2018, प्रारूप -3 में निर्धारित नोटिस की प्रति एवं रसीद की प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने 57/-रुपये का जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं कराई एवं ना ही अपीलान्त को कोई सम्मन तामील हुआ है और ना ही अपीलान्त को सुना गया अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्त के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलान्त पर कोई सम्मन तामील नहीं हुआ है। यदि अपीलान्त पर प्रोपर तामील होती तो अपीलान्त अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखते यह प्रकिया प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अपीलान्त ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जो कायदा कानून नहीं जानता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 17.4.2018 को पुलिस के जरिये हुई। जैसे ही अपीलान्त को सजा की जानकारी हुई अपीलान्त ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में अपना कब्जा नहीं करने इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2018 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है। अपीलान्त को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है सिद्ध नहीं होता अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर उनका 30 वर्ष से कब्जा कारत है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये हैं।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का के बयान प्रफोर्मा में लिये गये हैं जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है।
5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 12.02.2018 के पैरा नम्बर 2 में यह अकिंत है कि अपीलान्ट नोटिस की विधिवत तामील के उपरान्त स्वयं उपस्थित आये। अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उपस्थित भी माना और एक तरफा कार्यवाही भी की है। दोनो कार्यवाही एक साथ की गई है जो असम्भव है तथा न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है।
6. अपीलान्ट द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि उसने कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्टस् आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्ट शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करते हैं तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेडी अपीलान्ट के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे।

शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर